संख्या: 39 / 2022/ 1247/ सत्रह-म-2022-6-9(03)/2020

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त
उ0प्र0।
2-समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 21 अक्टूबर, 2022

विषयः- वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के अन्तर्गत लाभार्थियों के प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी व लाभार्थी चयन की कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में बडे स्तर पर मत्स्य उत्पादन एवं मत्स्य की प्रचुर उपलब्धता के दृष्टिगत प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना एक महत्वपूर्ण प्रभावी योजना है, जिसमें लाभार्थियों को केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि को समेकित रूप से उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के लाभार्थियों के आवेदन पत्र संबंधित जनपदों में मत्स्य विभाग के पोर्टल पर प्रदर्शित हैं। विषयगत प्रकरण में निर्धारित दिशा-निर्देश व विभिन्न मापदण्डों के आलोक में इन आवेदन पत्रों की अविलम्ब स्क्रूटनी किया जाना अपेक्षित है,जिससे कि अर्ह लाभार्थियों का चयन करते हुए उन्हें प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना हेतु चयनित किया जा सकें। उक्त प्रकरण की प्रक्रिया को अधिक वैज्ञानिक एवं बौद्धिक बनाये जाने के फलस्वरूप इस प्रकरण में पूर्व में ही विलम्ब हो चुका है।

2- प्रश्नगत योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 व वर्ष 2021-22 हेतु शासन के आदेश दिनांक 14.07.2022 व 18.07.2022 द्वारा लगभग 51 करोड की केन्द्रांश धनराशि निर्गत की जा चुकी है, किन्तु तीन माह पूर्व निर्गत उक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय की स्थिति संतोषजनक नहीं है। 75 प्रतिशत धनराशि व्यय के उपरान्त ही भारत सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान की जायेगी।

3- विषयगत प्रकरण अतिमहत्वपूर्ण प्रकृति का है। अतः प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत गाइड लाइन्स दिनांक 09 सितम्बर, 2020 व तत्क्रम में संशोधन विषयक निर्गत शासनादेश दिनांक 08.08.2022 व शासनादेश दिनांक 14.10.2022 द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों व मानकों के अनुरूप मत्स्य विभाग के जनपदीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए प्रश्नगत योजना के सम्बंध में प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की नियमानुसार स्क्रूटनी की कार्यवाही माह अक्टूबर,2022 तक पूर्ण कराते हुए

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

माह नवम्बर,2022 के प्रथम सप्ताह में जिला स्तरीय समिति (डी0एल0सी0) की बैठक आहूत करते हुए लाभार्थी चयन आदि की कार्यवाही पूर्ण कराये जाने का कष्ट करें। वर्णित प्रकरण में जनपदवार प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

प्रकरण केन्द्रीय योजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित है। अतः शीर्ष प्राथमिकता अपेक्षित है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 39/2022/1247(1)/सत्रह-म-2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 लखनऊ को उपरोक्तानुसार समयबद्ध कार्यवाही के अनुपालनार्थ।

2- समस्त उप निदेशक मत्स्य तथा सहायक उप निदेशक, मत्स्य को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया मण्डलीय व जिला प्रशासन के साथ अपेक्षित सहयोग व समन्वय स्थापित करते हुए समयबद्ध रूप में तत्काल अग्रेतर कार्यवाही सुनश्चित करायें।

आज्ञा से,

(आर0पी0सिंह)
उप सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।